न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–45/2022

GCMS No.- 2022/57

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कैलाशराम पुत्र शिवदानराम जाति जाट निवासी गोवाकलां तहसील मूण्डवा जिला नागौर, उचित मूल्य दुकानदार गोवांकलां तहसील मूण्डवा जिला नागौर, राज.		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री अनिल गौड़।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।

निर्णय **दिनांक– 01-03-2023**

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पद्दार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 39/2017 राजस्थान सरकार बनाम श्री कैलाशराम उचित मूल्य दुकानदार गोवा कलां प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मिया दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मयाद प्रार्थना में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते कथन किया किप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्व उपरोक्त सारी कार्यवाही एकतरफा में की गयी थी, न तो उसे विधिवत किसी प्रकार की सुनवाई हेतु तलब किया गया न कोई जवाब, साक्ष्य स्पष्टीकरण, सुनवाई का अवसर दिया गया व पता करने पर यही कहा जाता रहा कि आपको नोटिस देकर जवाब के लिए तलब कर लिया जावेगा, आपकी पुरी सुनवाई की जावेगी मगर कोई सुनवाई नहीं की, अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कानूनी पेचीदगीयों से अनभिज्ञ है उसको मुगालते में रखा गया व स्थानीय राजनैतिक रसूखात रखने वाले लोगो ने बाले–बाले एकतरफा कार्यवाही करवा कर निर्णय जैर अपील पारित करवा दिया जिसके बारे में हाल ही में गांव में चर्चा होने पर अपीलांट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाणित प्रतियो का आवेदन करने पर बड़ी मुश्किल से दिनांक 11.1.2022 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्व प्रथम सारी मिथ्या एकतरफा कार्यवाही व निर्णय की जानकारी होने से कानूनी राय लेकर अपील पेश की है, जिससे देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करना न्याय संगत हाने का कथन करते हुए उपरोक्त परिस्थितियो में न्याय हित में देरी माफ कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर न्यायहित में मेरिट पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित होने से अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
3. वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को उचित मूल्य दुकानकार, गोवांकला (22565) तहसील मूण्डवा हेतु विधिवत प्राधिकार पत्र संख्या 10/94 जारी किया हुवा था और अपीलांट

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

डीलर द्वारा पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के साथ प्राप्त राशन सामग्री को वितरण करता रहा तथा किसी भी स्वतंत्र उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं रही थी लेकिन इसी दौरान अपीलांट डीलर के विरूद्व गांव के राजनैतिक पार्टी विशेष के कुछ लोगो के समुह ने दिनांक 07.02.2017 को मिथ्या शिकायत की जिसमें बताया गया कि डीलर द्वारा राशन वितरण के दौरान पोश मशीन पर रोल लगाकर वितरण की पर्ची बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात उपभोक्ताओ को नहीं देने के कारण डीलर द्वारा उन्हें जारी राशन कार्ड पर कौन–कौन सी राशन सामग्री वितरण करना, केरोसीन वितरण के समय गेहूँ का ट्रांजेक्शन एक माह का राशन देकर दुसरे माह का फर्जी रूप से फर्जी साईन कर/अंगुठा निशान कर उपलब्ध नहीं कराने के आशय की ई मित्र से ऑनलाईन ट्रांजेक्शन की अपने राशन कार्ड की पर्चीया निकलवा कर प्रत्येक माह चार लीटर केरोसीन वितरण के स्थान पर तीन लीटर से देने, एक महिने में दस किलोग्राम गेहूँ वितरण पर अंगुठा करवाने के बहाने 20 किलोग्राम गेहूँ वितरण पर अंगुठा करवा सरकारी राशि का गबन करने के आशय की उन्हे जारी राशन कार्ड एवं ऑन लाईन ट्रांजेक्शन के दस्तावेजात की फोटो प्रतियां प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक मूण्डवा को उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान मौके पर जाकर दुकान के वितरण संबंधी तथ्यो की जांच हेतु दिनांक 07.02.2017 को निर्देशित किया गया, जांच अधिकारी ने शिकायत व दस्तावेजात का सूक्ष्मरूप से अवलोकन कर राशन डीलर प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने एवं विस्तृत जांच में रिपोर्ट पेश करने में कुछ दिन व्यतीत के मध्यनजर डीलर का प्राधिकार पत्र के निलम्बन अनुशंषा की रिपोर्ट दिनांक 22.2.2017 को पेश करने पर विभागीय प्रकरण संख्या 39/2017 दर्ज कर कार्यालय जिला रसद अधिकारी नागौर स्तर से आदेश दिनांक 22.2.2017 द्वारा अप्रार्थी डीलर को जारी प्राधिकारी पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया तथा डीलर से अटेच की गई शीलगांव की अस्थाई वितरण व्यवस्था समाप्त कर डीलर की विस्तृत जांच हेतु भी आदेशित किया गया। क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक ने बिना वास्तविक जांच किये एकतरफा जांच रिपोर्ट तैयार की कि पोश मशीन अनुसार निरीक्षण की तारीख को 140.36 क्विं. गेहू, 145 लीटर केरोसीन व 161 किलोग्राम लेवी चीनी प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्ज होने किन्तु भौतिक सत्यापन पर गेहूँ 112,50 क्विं. लेवी चीनी 150 किलोग्राम एवं केरोसीन स्टॉक शून्य पाया जाना बताया तथा स्टॉक में गेहूं 27.89 क्विं. लेवी चीनी 11 किलोगाम एवं केरोसीन 145 लीटर कम पाया जाना बताया। इतना ही नहीं समूह विशेष के लोगो के एक जैसे बयान लिख कर 2.80 क्विं, गेहू व 52.50 लीटर केरोसीन का स्वयं के निजी लाभ हेतु जांच रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट अ, अनुसार दुरूपयोग करना बताया तथा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन न होते हुऐ भी शर्त संख्या 5, 11 व 17 सी के आरोप प्रमाणित न होते हुऐ भी प्रमाणित बताया गया जिस पर अपीलांट डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी करना बताया तथा इसी दौरान अपीलांट से अदावत रखने वाले राजनेतिक पार्टीबाजी की ओर से खड़े किये गये कथित परसराम वगैरा ने मिथ्या इस्तगासा कर मु.नं. 65/2017 थाना भावण्डा में दर्ज करवा दिया, जिसमें अपीलान्ट के विरूद्व प्रस्तुत शिकायत एवं प्रवर्तन निरीक्षणगण की जॉच रिपोर्ट भी जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पुलिस थाना भावण्डा में उक्त प्रकरण में अनुसंधान में प्रस्तुत की है। उक्त मुकदमा में पुलिस थाना भावण्डा द्वारा बाद अनुसंधान अपीलान्ट के विरूद्व न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिस श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या–1675/2018 राजस्थान राज्य बनाम कैलाशराम में बाद विचारण अपने निर्णय दिनांक 17.01.2023 से अपीलान्ट को धारा 409, 418 भा.दं.सं. के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।जिससे यह अब पूर्णतया स्पष्ट है अपीलान्ट के विरूद्व की गई शिकायत एवं जॉच रिपोर्ट सही नहीं रही है, उक्त निर्णय दिनांक 17.01.2023 की प्रमाणित प्रस्तुत है। जिला रसद अधिकारी ने किसी प्रकार की सुचना अपीलांट की जानकारी में दिये बिना ही तथा जवाबदेही, स्पष्टीकरण, साक्ष्य, सुनवाई से वंचित रखते हुऐ एवं मिथ्या दर्ज एफ.आई.आर. को आधार मानकर व समूह विशेष के लोगो के मिथ्या बयानो को आधार मानकर अनियमितता प्रमाणित हुए बिना ही राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं 9 में प्रदत्त शक्तियो का दुरूपयोग करते हुऐ अपीलांट राशन डीलर कैलाशराम उचित मूल्य दुकानदार गोवाकलां तहसील मूण्डवा को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करने व जमा प्रतिभूति राशि 1000रू. जब्त बहक सरकार करने के आदेश निर्णय दिनांक 27.11.2021 को पारित कर दिये। चूंकि अपीलांट के विरूद्व उपरोक्त सारी कार्यवाही एकतरफा में की गयी थी,

कलक्टर नागौर

न तो उसे विधिवत किसी प्रकार की सुनवाई हेतु तलब किया गया न कोई जवाब, साक्ष्य स्पष्टीकरण, सुनवाई का अवसर दिया गया व पता करने पर यही कहा जाता रहा कि आपको नोटिस देकर जवाब के लिए तलब कर लिया जावेगा, आपकी पुरी सुनवाई की जावेगी मगर कोई सुनवाई नहीं की, अपीलांट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति जो कानूनी पेचीदगीयो से अनभिज्ञ है उसको मुगालते में रखा गया व स्थानीय राजनैतिक रसूखात रखने वाले लोगो ने बाले बाले एकतरफा कार्यवाही करवा कर निर्णय जैर अपील पारित करवा दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

3(1)– निर्णय/आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्वांतो व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत है। रेस्पोडेन्ट ने निर्णय जैर अपील पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है और उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना व नजरअंदाज करते हुऐ आदेश जैर अपील पारित किया है जो हस्तक्षेप योग्य है।

3(2)– अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था।

3(3)–अपीलांट के विरूद्ध किसी भी स्वतंत्र उपभोक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है जहां तक क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक की कथित जांच प्रतिवेदन में जिन गवाहान के बयान दर्ज किये है उन सभी गवाहान के राशन कार्डो में जितनी सामग्री दी गयी है उसका अंकन है उसके बावजूद उनके द्वारा सामग्री प्राप्त नहीं करने का कथन केवल मात्र स्थानीय राजनेतिक पार्टीबाजी के कारण अपनी पार्टी के व्यक्ति को डीलर नियुक्त करवाने व अपीलांट को नाजायज तंग परेशान कर उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए मिथ्या बयान एक ही जैसे दिये गये है जो कतई माने जाने योग्य नहीं है रेकॉर्ड व राशन कार्डो की ऐन्ट्री में कोई गड़बड़ी नहीं है यदि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाता तो अपीलांट स्वतंत्र गवाहान के बयान करवाता व सारी स्थिति स्पष्ट करता मगर उसको ऐसा करने से जानबूझ कर वंचित रखा गया है तथा मात्र अपने जांच प्रतिवेदन को येन केन प्रकारेण सही ठहराने के लिए कुछ झुठे गवाह बनाये है तथा जिन गवाहान के बयान लिखे उनमें सभी गवाहान के राशनकार्ड नम्बर भी दर्ज नहीं है जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि जांच प्रतिवेदन झुठा बनाकर पेश किया गया है ऐसे जांच प्रतिवेदन पर विश्वास करके अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की गई है।

3(4)–अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर न तो जांच अधिकारी ने दिया न ही अपीलांट के पक्ष को सुना व समझा गया। प्रारंभिक जांच व जांच अधिकारियो द्वारा तैयार रिपोर्टो के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि दोनो जांचो में वस्तुओ की उपलब्धता व कमी के बारे में जो तथ्य दर्ज किये गये है वे अलग अलग दर्शाये है यानि प्रारंभिक जांच में जहां 145 लीटर केरोसीन की कमी बताई वहीं पर जांच अधिकारी ने 286.5 लीटर केरोसीन कम होने का आरोप लगाया गया। 286.5 लीटर केरोसीन कम पाये जाने के संबंध में कोई कारण बताओं नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को केवल 145 लीटर केरोसीन का आवंटन किया गया था, इसलिए स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया बिना सोचे समझे, बिना पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये ही सरसरी तौरपर पारित किया है।

3(5)–जांच अधिकारी ने जांच के नाम पर मात्र खानापूर्ति की गयी है जो कि आदेश/ निर्णय से स्पष्ट है, जांच अधिकारी ने तथ्यो से भिन्न रिपोर्ट पेश की है जो पूरी तरह से निराधार है। फौजदारी मुकदमें में गवाहो के बयान माननीय कोर्ट द्वारा दर्ज किये गये जिनमें सभी गवाहान ने राशन की सामग्री उनको समय पर व पूरी प्राप्त होने का कथन किया है जिस पर भी कोई गौर नहीं किया गया है तथा अपीलांट को उक्त बयानो को प्रस्तुत करने का जानबूझ कर अवसर नहीं दिया गया एवं उक्त संबंध में परिवादीगण परसाराम वगैरह द्वारा न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया जिस पर पुलिस थाना भावण्डा द्वारा प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय में

कलक्टर नागौर

आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय नागौर द्वारा मूल फौजदारी प्रकरण संख्या–1675/2018 राज्य बनाम कैलाशराम में बाद विचारण अपीलान्ट को धारा 409, 418 भा.दं.सं. के आरोपों से दोषमुक्त भी कर दिया, जिससे भी रसद विभाग द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही गलत एवं मिथ्या की गई है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि रेस्पोडेन्ट राजनेतिक दबाव व प्रभाव में आकर अपीलांट के विरूद्ध येन केन प्रकारेण आदेश पारित कर उसका प्राधिकार निरस्त करना चाहते थे व उसी क्रम में आनन फानन में एकतरफा कार्यवाही करते हुऐ अपीलांट को उसके विधिक हक अधिकारो से वंचित रखा गया है।

3(6)–उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता करनी पाई जाती है तो सर्व प्रथम जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में बनी वितरण कमेटी द्वारा जांच कर उस कमेटी के सदस्यों द्वारा पूछताछ कर उनके बयान लेकर उसके पश्चात दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर उक्त कमेटी के बयानों को मध्य नजर रखते हुऐ उचित मूल्य दुकानदार को जवाब, स्पष्टीकरण, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर बाद में दोषी पाये जाने पर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्ती की कार्यवाही की जा सकती है मगर प्रकरण हाजा में ऐसी कोई पालना नहीं हुई है। केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक तरफा कार्यवाही कर अपीलांट को दोषी बता कर निर्णय पारित करवाया है व अब नया डिलर नियुक्त किये जाने की तैयारी में है जो विधि सम्मत नहीं है।

3(7)–अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता बाबत कोई शिकायत किसी भी स्वतंत्र उपभोक्ता की कभी नहीं रही थी, चन्द लोगो द्वारा मिथ्या शिकायत की गयी थी, जबकि अपीलांट के अचानक बीमार हो जाने व तुरन्त हॉस्पिटल चले जाने के वक्त प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आकर मात्र अपना टारगेट पूरा करने के लिए अपीलांट के विरूद्ध बिना उसे सुने व बिना परिस्थितियो को समझे प्रतिवेदन बना कर प्राधिकार पत्र निलम्बित करवा दिया व रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की उपरोक्त स्थिति व उसके विरूद्ध पूर्व मे ऐसी कोई शिकायत या प्रतिवेदन कभी पेश नहीं होने आदि के महत्वपूर्ण तथ्यो को नजरन्दाज करते हुऐ व अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही प्राधिकार पत्र निरस्त करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है जिससे भी आदेश जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3(8)–उपरोक्त हालात में यह स्पष्ट था व है कि अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र के बाद में अपीलांट के खिलाफ किसी भी स्वतंत्र उपभोक्ता की ऐसी कोई शिकायत नहीं थी जिससे अपीलांट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमो का उल्लंघन किया जाना साबित हो। इसके अलावा अपीलांट के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनो की पालना करते हुऐ विधिनुसार कार्य किया जा रहा था।

3(9)–अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद अनियमितता व गबन करने व किसी प्रकार का अवेध कृत्य करने का आरोप कतई प्रमाणित नहीं हुआ है सारी कार्यवाही मनमर्जी से एकतरफा में की गयी है अपीलांट के द्वारा उचित मूल्य दूकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा था, जिससे भी अपीलांट से इस संबंध में शपथ पत्र लेकर उसका प्राधिकार पत्र बहाल करना न्यायोचित होते हुए भी उसे निरस्त करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की हे।

3(10)–अपीलांट बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी अपीलांट पर ही है तथा अपीलांट नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है ऐसी स्थिति में उसके विरूद्व यदि ऐसा कोई प्रतिवेदन पेश भी हुवा है हालांकि वह सही नहीं है फिर भी उस बाबत जवाबेदेही, साक्ष्य सबूत स्पष्टीकरण का व अपनी ओर से स्वतंत्र उपभोक्ताओ के शपथ पत्र आदि पेश करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था जो नहीं दिया जाकर एकतरफा कार्यवाही करते हुऐ इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट की सुनवाई करने के पश्चात यदि कोई छोटी बड़ी लापरवाही उसकी बीमारी की हालत में हुई भी हो तो अपीलांट को आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यक हो तो आईन्दा ऐसी शिकायत नहीं होने बाबत बंधपत्र या अण्डरटेंकिग/शपथपत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था यही विधि की मंशा है मगर ऐसा नहीं करके सरसरी आधारों पर उसका

कलक्टर नागौर

प्राधिकार पत्र निरस्त करने में अधिनस्थ रसद अधिकारी नागौर ने विधिक त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील संशोधित/परिवर्तित/निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने, अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 39/2017 राजस्थान सरकार बनाम कैलाशराम में पारित आदेश/निर्णय जैर अपील दिनांक 27.11.2021 को अपास्त/संशोधित/निरस्त करने एवं अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि ग्राम गोवाकलां एवं जोधड़ास के उपभोक्ताओं की अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत दिनांक 07.02.2017 के संबंध में जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा पत्रांक–637 दिनांक 07.02.2017 से प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डवा श्री मुरारीलाल शर्मा को शिकायत की जॉच कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये गये। जॉच अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक ने शिकायत एवं उसके संलग्न दस्तावेज का सूक्ष्म रूप से अवलोकन कर अपीलान्ट प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने एवं शिकायत की सघन जॉच कर विस्तृत रिपोर्ट कुछ दिनों में प्रस्तुत करने का जिला रसद अधिकारी नागौर पत्र दिनांक 22.2.17 को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विस्तृत जॉच रिपोर्ट दिनांक 14.03.2017 मय दस्तावेजात के जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 39/2017 प्रकरण के संबंध में अपीलान्ट को उसके द्वारा बरती गई निम्नानुसार अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस कमांक 1217 दिनांक 22.03.2017 जारी किया गया। प्रथम आक्षेप– अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का संयुक्त निरीक्षण के दौरान दिनांक 18.02.2017 को पोश मशीन अनुसार 140.39 क्वि0 गेहूँ, 145 लीटर केरोसीन व 161 किलो लेवी चीनी प्रारम्भिक शेष में दर्ज था, किन्तु भौतिक सत्यापन मौके पर करने पर 112.50 क्वि0 गेहूँ, 150 किलो लेवी चीनी व केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया गया। इस प्रकार गेहूँ 27.89 क्वि, 11 किलो लेवी चीनी व 145 लीटर केरोसीन कम होना पाया गया। द्वितीय आक्षेप–वक्त जॉच मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने ऑनलाईन ट्रांजेक्शन की अपने राशन की पर्चीया निकलवाकर प्रस्तुत कर मौके पर बयान दिये, जिसके अनुसार परिशिष्ट "अ" अनुसार अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को 02.80 क्विं0 गेहूँ व 52.50 लीटर केरोसीन का स्वंय के निजी लाभ हेतु उपयोग में लिया जाकर, सामग्री का दुरूपयोग किया है।

4(1)–अपीलान्ट को जारी उक्त नोटिस दिनांक 22.03.2017 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा लम्बित विभागीय प्रकरण मे स्पष्टीकरण एवं जबाब पेश करने एवं सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यालय स्तर पर इस लम्बित विभागीय प्रकरण मे दिनांक 16.05.2017 क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री वितरण कार्य की पुनः विस्तृत जांच करने का निवेदन किया, जिस पर जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा पत्रांक–1377 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा अपीलान्ट के रिकार्ड की विस्तृत जॉच कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये, जिसके कम में श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक जायल द्वारा जॉच कर जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 को जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके अनुसार 30.69 क्वीं गेहूँ, 11 किलो चीनी वं 286.5 लीटर केरोसीन का अपीलान्ट द्वारा निजी लाभ हेतु दुरूपयोग करना पाया, गेहूँ व चीनी श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा एवं श्री रामावतार पूनिया द्वारा की गई जॉचों अनुसार गेहूँ 30.69 क्वीं एवं चीनी 11 किलो का अपीलान्ट द्वारा गबन करना सही पाया गया, परन्तु केरोसीन श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपार्ट अनुसार 197.5 लीटर केरोसीन का गबन करना बताया परन्तु श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में 286.5 लीटर केरोसीन का अपीलान्ट द्वारा

कलक्टर नागौर

गबन करना बताया है। इस प्रकार श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट से श्री रामावतार पूनिया की जॉच रिपोर्ट में 89 लीटर केरासीन अधिक का गबन अपीलान्ट द्वारा करना बताया गया है। उक्त 89 लीटर केरोसीन अधिक गबन के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्री मुरारीलाल ने वक्त जॉच पोश मशीन में दर्ज केरोसीन के स्टॉक अनुसार अपनी रिपोर्ट में कुल 197.5 लीटर केरोसीन का गबन माना है, जबकि श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट को माह अक्टूबर 2016 से फरवरी, 2017 तक कार्यालय द्वारा अपीलान्ट को आवंटित केरोसीन और अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन से ऑनलाईन वितरण के अनुसार 286.5 लीटर केरोसीन का गबन किया जाना बताया है, जो श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपार्ट में गबन किये गये केरोसीन से 89 लीटर केरोसीन का अधिक गबन पाया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पूनिया द्वारा केरोसीन का अपीलान्ट द्वारा गबन के संबंध में केरोसीन आवंटन रोस्टर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक एवं माह अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक पोश मशीन से आवंटन की ऑनलाईन रिपोर्ट से जॉच करने पर 286.5 लीटर केरोसीन का गबन किया जाना पाया गया।

4(2)–प्रकरण में जिला रसद अधिकारी महोदय द्वारा अपीलान्ट बरती गई अनियमिताओं के संबंध में उपर्युक्तानुसार सर्व प्रथम कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.03.2017 को जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट स्वंय के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट को पुनः नोटिस कमांक–1941 दिनांक 18.07.2017, 2715 दिनांक 20.11.2017 जारी किये गये, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष उपस्थित तो हुआ, परन्तु अपीलान्ट ने कोई जबाब नहीं किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किये जाने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। ग्राम गोवाकलां एवं जोधड़ास के उपभोक्ताओं की अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत दिनांक 07.02.2017 के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पत्र दिनांक 07.02.2017 से प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डवा श्री मुरारीलाल शर्मा को शिकायत की जॉच कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये गये। प्रवर्तन निरीक्षक ने शिकायत एवं उसके संलग्न दस्तावेज का अवलोकन कर अपीलान्ट प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने एवं शिकायत की सघन जॉच कर विस्तृत रिपोर्ट कुछ दिनों में प्रस्तुत करने का जिला रसद अधिकारी नागौर पत्र दिनांक 22.2.17 को प्रस्तुत किया। इसके बाद में श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विस्तृत जॉच रिपोर्ट दिनांक 14.03.2017 मय दस्तावेजात के जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 39/2017 प्रकरण के संबंध में अपीलान्ट को उसके द्वारा बरती गई निम्नानुसार अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस कमांक 1217 दिनांक 22.03.2017 जारी किया गया। प्रथम आक्षेप– अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का संयुक्त निरीक्षण के दौरान दिनांक 18.02.2017 को पोश मशीन अनुसार 140.39 क्वि0 गेहूँ, 145 लीटर केरोसीन व 161 किलो लेवी चीनी प्रारम्भिक शेष में दर्ज था, किन्तु भौतिक सत्यापन मौके पर करने पर 112.50 क्वि0 गेहूँ, 150 किलो लेवी चीनी व केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया गया। इस प्रकार गेहूँ 27.89 क्वि, 11 किलो लेवी चीनी व 145 लीटर केरोसीन कम होना पाया गया। द्वितीय आक्षेप–वक्त जॉच मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने ऑनलाईन ट्रांजेक्शन की अपने राशन की पर्चीया निकलवाकर प्रस्तुत कर मौके पर बयान दिये, जिसके अनुसार परिशिष्ट "अ" अनुसार अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को 02.80 क्वि0 गेहूँ व 52.50 लीटर केरोसीन का स्वंय के निजी लाभ हेतु उपयोग में लिया जाकर, सामग्री का दुरूपयोग किया है।

कलक्टर नागौर

5(1)–अपीलान्ट को उक्तानुसार आक्षेपों के संबंध में जारी नोटिस दिनांक 22.03.2017 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा लम्बित विभागीय प्रकरण मे जबाब पेश करने का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष उक्त लम्बित विभागीय प्रकरण मे दिनांक 16.05.2017 क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा मौखिक रूप से अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री वितरण कार्य की पुनः विस्तृत जांच करने का निवेदन करने पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पत्रांक–1377 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा अपीलान्ट के रिकार्ड की विस्तृत जॉच कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये, जिसके कम में श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक जायल द्वारा जॉच कर जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 को जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार 30.69 क्वीं गेहूँ, 11 किलो चीनी वं 286.5 लीटर केरोसीन का अपीलान्ट द्वारा निजी लाभ हेतु दुरूपयोग करना पाया, गेहूँ व चीनी श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा एवं श्री रामावतार पूनिया द्वारा की गई जॉचों अनुसार गेहूँ 30.69 क्वीं एवं चीनी 11 किलो का अपीलान्ट द्वारा गबन करना सही पाया गया, परन्तु श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपार्ट अनुसार 197.5 लीटर केरोसीन का गबन करना बताया परन्तु श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में 286.5 लीटर केरोसीन का अपीलान्ट द्वारा गबन करना बताया है। इस प्रकार श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट से श्री रामावतार पूनिया की जॉच रिपोर्ट में 89 लीटर केरासीन अधिक का गबन अपीलान्ट द्वारा करना बताया गया है। उक्त 89 लीटर केरोसीन अधिक गबन के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्री मुरारीलाल ने वक्त जॉच पोश मशीन में दर्ज केरोसीन के स्टॉक अनुसार अपनी रिपोर्ट में कुल 197.5 लीटर केरोसीन का गबन माना है, जबकि श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट को माह अक्टूबर 2016 से फरवरी, 2017 तक कार्यालय द्वारा अपीलान्ट को आवंटित केरोसीन और अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन से ऑनलाईन वितरण के अनुसार 286.5 लीटर केरोसीन का गबन किया जाना बताया है। प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पूनिया द्वारा केरोसीन का अपीलान्ट द्वारा गबन के संबंध में केरोसीन आवंटन रोस्टर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक एवं माह अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक पोश मशीन से आवंटन की ऑनलाईन रिपोर्ट से जॉच करने पर 286.5 लीटर केरोसीन का गबन किया जाना माना है।

5(2)–प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट बरती गई अनियमिताओं के संबंध में उपर्युक्तानुसार सर्व प्रथम कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.03.2017 को जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट स्वंय के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट को पुनः नोटिस कमांक–1941 दिनांक 18.07.2017, 2715 दिनांक 20.11.2017 जारी किये गये, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष उपस्थित तो हुआ, परन्तु अपीलान्ट ने कोई जबाब नहीं किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित करना बताया गया है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री मुरारीलाल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपार्ट अनुसार 197.5 लीटर केरोसीन का गबन करना बताया, तत्पश्चात श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में 286.5 लीटर केरोसीन का अपीलान्ट द्वारा गबन करना बताया है। अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा जो कारण बताओं नोटिस दिनांक 22.02.2017 जारी किया गया है, उसमें 145+52.50=197.5 लीटर केरोसीन अपीलान्ट के पास कम होना बताया है। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय भी 286.5 लीटर केरोसीन के गबन के संबंध में किया है, परन्तु अपीलान्ट को जारी उपर्युक्तानुसार किसी भी कारण बताओं नोटिस में 286.5 लीटर केरोसीन अपीलान्ट के पास कम पाये जाने अथवा गबन करने के संबंध में आक्षेप नहीं है। यदि अपीलान्ट के पास 286.5 लीटर केरोसीन कम पाया गया है अथवा उसके द्वारा गबन किया गया है, तो

कलक्टर नागौर

अपीलान्ट को 286.5 लीटर केरोसीन कम पाये जाने अथवा गबन करने के संबंध में कारण बताओं नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जो नहीं दिया गया है।

5(3)–जिला रसद अधिकारी नागौर ने निर्णय जैर अपील में उल्लेख किया है कि ***"चूकि जॉच रिपोर्ट अनुसार डीलर स्तर पर गबन करना स्पष्ट होने से क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक को इस कार्यालय स्तर से पत्रांक–1518 दिनांक 06.06.2017 द्वारा संबंधित डीलर के विरूद्ध पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिये गये। क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना भावण्डा से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु सम्पर्क करने के दौरान अपनी जॉच रिपोर्ट में डीलर के विरूद्ध पूर्व में शिकायतकर्ताओं परिवादी परसराम वगैराह ने जरिये इस्तगासा मुकदमा नम्बर 65/2017 दिनांक 02.06.2017 अधीन धारा 406, 420, 403 आईपीसी ई.सी. एक्ट में थाना भावण्डा में दर्ज दर्ज होकर अनुसंधान जारी होने से, एक ही घटना, एक ही व्यक्ति के विरूद्ध माननीय न्यायालय के आदेश से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के कारण कार्यालय में लम्बित इस प्रकरण से क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक की अनुशंषा पर अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत एवं जॉच रिपोर्ट तथा डीलर का वितरण हेतु वांछित नियुक्ति आदेश की प्रतियां संबंधित थानाधिकारी भावण्डा को इस कार्यालय के पत्रांक–2259 दिनांक 11.09.2017 द्वारा जॉच में डीलर द्वारा गबन एवं दुरूपयोग करना प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता स्पष्ट होने से अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध अनुसंधान में चल रही प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ रख जॉच हेतु प्रेषित किये गये।"*** जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निर्णय में किये उक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा किये गये गबन आदि के संबंध में शिकायतकर्ताओं परिवादी परसराम वगैरह द्वारा इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुलिस थाना भावण्डा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 65/2017 दर्ज हो जाने से एक ही व्यक्ति एवं एक ही घटना के विरूद्ध उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज होकर जैर अनुसंधान होने से थानाधिकारी पुलिस थाना भावण्डा को अपीलान्ट के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत शिकायत, एवं प्रवर्तन निरीक्षकगण की गई जॉच रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज थानाधिकारी पुलिस थाना भावण्डा को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ रख जॉच हेतु प्रेषित किये गये है। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना भावण्डा द्वारा सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय नागौर द्वारा मूल फौजदारी प्रकरण संख्या–1675/2018 राज्य बनाम कैलाशराम में अपने निर्णय दिनांक 17.01.2023 से अपीलान्ट को आरोप 409, 418 भा.द.स. से दोषमुक्त कर दिया। ऐसी स्थिति में भी अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को अब स्थिर रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 27.11.2021 को अपास्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर